न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या- 108/2025

वादीगण :-

1. सुरेश पुत्र स्व. छैलाराम
2. बगदाराम पुत्र स्व. छैलाराम
3. गणकी पत्नी स्व. छैलाराम
4. संतोष पुत्री स्व. छैलाराम
5. रेखादेवी पुत्री स्व. छैलाराम
6. सेणीदेवी पुत्री स्व. छैलाराम
7. सपना पुत्री स्व. नेमाराम
8. मनीषा पुत्री स्व. नेमाराम
9. आरती पुत्री स्व. नेमाराम
10. गीता पत्नी स्व. नेमाराम जायितान सरगरा, निवासीगण सरगरों का बास ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र लालाराम जाति सरगरा निवासी सरगरों का बास ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत बरना पं.स. बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादीगण – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः-25/04/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1402/1 रकबा 0.8171 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1468 रकबा 1.8850 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 88 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.1632 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार नये 643 व पुराने 467 है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि श्ए॰ से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1463 रकबा 0.6229 हैक्टेयर किस्म बारानी ए आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार नये 644 व पुराने 466 है। उपरोक्त खसरा की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वंशावली वृक्ष निम्नानुसार है- वादग्रस्त कृषि भूमि ए पूर्व में लालाराम पुत्र भीयाराम कौम सरगरा के नाम दर्ज थी तथा लालाराम निर्वसीयत वर्ष 1971 में फौत हुए, लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 है तथा लालाराम निर्वसीयत फौत होने से लालाराम व उसके पुत्र छैलाराम तथा छैलाराम का पुत्र नेमाराम निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि श्ए॰ में वादी संख्या 1 को 1/14 व॰ हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/14 व॰ हिस्सा, वादी संख्या 3 को 1/14 व॰, वादी संख्या 4 को 1/14 व॰ हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/14 व॰ हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/14 व॰ हिस्सा, वादी संख्या 7 को 1/56 व॰ हिस्सा, वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

संख्या 8 को 1/56 व० हिस्सा, वादी संख्या 9 को 1/56 वीं, वादी संख्या 10 को 1/56 व० हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 व० हिस्सा निहित हुआ। लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके जीवनकाल में ही स्वीकृत कर दिया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में लालाराम के तीन पुत्र मांगीलाल, छैलाराम व ढगलाराम होना बताया, जबकि लालाराम के दो पुत्र मांगीलाल व छैलाराम ही है। ढगलाराम नाम का कोई पुत्र लालाराम का नही है। इस प्रकार लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 उनके जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत करने से तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में ढगलाराम लालाराम का पुत्र नही होते हुए भी पुत्र बताने से लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध है तथा कानूनन म्यूटेशन न तो किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है और न ही किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त करता है, इसलिए उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त अनुसार अनुसार निहित हिस्सा कानूनन समाप्त नही होता है तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 में लालाराम का पुत्र ढगलाराम होना बताने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या के हिस्से भी चालु जमाबन्दी में गलत दर्ज किये गये, जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त कृषि भूमि ए में उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सा निहित है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि ए में उपरोक्त निहित हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी पूर्व में लालाराम पुत्र भीयाराम कौम सरगरा व बीजाराम पुत्र राधाकिशन कौम सरगरा के नाम दर्ज थी जिसके अनुसार लालाराम का वादग्रस्त कृषि भूमि बी में 1/2 हिस्सा निहित था तथा लालाराम निर्वसीयत वर्ष 1971 में फौत हुए, लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है तथा लालाराम निर्वसीयत फौत होने से लालाराम व उसके पुत्र छैलाराम तथा छैलाराम का पुत्र नेमाराम निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादी संख्या 1 को 1/28 व० हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/28 वीं हिस्सा, वादी संख्या 3 को 1/28 वीं, वादी संख्या 4 को 1/28 व० हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/28 व० हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/28 व० हिस्सा, वादी संख्या 7 को 1/112 व० हिस्सा, वादी संख्या 8 को 1/112 व० हिस्सा, वादी संख्या 9 को 1/112 व०, वादी संख्या 10 को 1/112 व० हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 व० हिस्सा निहित हुआ। लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके जीवनकाल में ही स्वीकृत कर दिया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में लालाराम के तीन पुत्र मांगीलाल, छैलाराम व ढगलाराम होना बताया, जबकि लालाराम के दो पुत्र मांगीलाल व छैलाराम ही है। ढगलाराम नाम का कोई पुत्र लालाराम का नही है। इस प्रकार लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 उनके जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत करने से तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में ढगलाराम लालाराम का पुत्र नहीं होते हुए भी पुत्र बताने से लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध है तथा कानूनन म्यूटेशन न तो किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है और न ही किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त करता है, इसलिए उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश् में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त अनुसार निहित हिस्सा कानूनन समाप्त नहीं होता है तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 में लालाराम का पुत्र ढगलाराम होना बताने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से भी चालु जमाबन्दी में गलत दर्ज किये गये, जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त कृषि भूमि बी में उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सा निहित है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में

उपरोक्त निहित हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 उनके जीवनकाल में स्वीकृत करने से तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में ढगलाराम जो लालाराम का पुत्र नही होते हुए भी लालाराम का पुत्र बताने से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए में लालाराम, उसका पुत्र छैलाराम व छैलाराम का पुत्र नेमाराम निर्वसीयत फौत होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित होने से तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 निहित हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी होने से इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि बी के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लालाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 उनके जीवनकाल में स्वीकृत करने से तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में ढगलाराम जो लालाराम का पुत्र नहीं होते हुए भी लालाराम का पुत्र बताने से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 102 कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि बी में लालाराम, उसका पुत्र छैलाराम व छैलाराम का पुत्र नेमाराम निर्वसीयत फौत होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित होने से तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 निहित हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का निहित हिस्सा दर्ज नही होने से, वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लालाराम के शून्य व अवैध फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 व 102 के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का निहित हिस्सा के स्थान पर गलत हिस्सा दर्ज होने से बमुकाम् ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के रेकर्डेड सहखातेदार ओमाराम पुत्र जोगाराम, धनाराम पुत्र मोहनराम व मांगीलाल पुत्र बींजाराम को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है, इसलिए प्रस्तुत वाद में उपरोक्त रेकर्डेड सहखातेदार आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1402/1 रकबा 0.8171 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1468 रकबा 1.8850 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 88 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.1632 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 1/14 वां हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/14 वां हिस्सा, वादी संख्या 3 को 1/14 वां, वादी संख्या 4 को 1/14 वां हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/14 वां हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/14 वां हिस्सा, वादी संख्या 7 को 1/56 वां हिस्सा, वादी संख्या 8 को 1/56 वां हिस्सा, वादी संख्या 9 को 1/56 वाँ, वादी संख्या 10 को 1/56 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम का नाम हटाये जाने का आदेश फरमावे। मुताबिक आदेशधडिक्री के अनुसार म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1463 रकबा 0.6229 हैक्टेयर किस्म बारानी ए में से वादी संख्या 1 को 1/28 वां हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/28 वां हिस्सा, वादी सं. 3 को

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/28 वां, वादी संख्या 4 को 1/28 वां हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/28 वाँ हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/28 वां हिस्सा, वादी संख्या 7 को 1/112 वां हिस्सा, वादी संख्या 8 को 1/112 वां हिस्सा, वादी संख्या 9 को 1/112 वां, वादी संख्या 10 को 1/112 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम का नाम हटाये जाने का आदेश फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जावे। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में लालाराम पुत्र भीयाराम के हद तक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किये गये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 101 व 102 को शून्य व अवैध घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद सं. 1 से 6 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है वादपत्र के पद सं. 10 (क) (ख) (ग) में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष है जिसे स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपति नहीं है, अपितु प्रतिवादी सं. 1 प्रस्तुत जवाब के जरिये सहमति है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को वाद पत्र के पद सं. 10 (क) (ख) (ग) में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपति नहीं है, अपितु प्रतिवादी सं. 1 प्रस्तुत जवाब के जरिये सहमत है।

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद सं. 1 से 6 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है वादपत्र के पद सं. 10 (क) (ख) (ग) में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष है जिसे स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी सं. 2 को कोई आपति नहीं है, अपितु प्रतिवादी सं. 2 प्रस्तुत जवाब के जरिये सहमति है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को वाद पत्र के पद सं. 10 (क) (ख) (ग) में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी सं. 2 को कोई आपति नहीं है, अपितु प्रतिवादी सं. 2 प्रस्तुत जवाब के जरिये सहमत है।

पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर सहमति प्रदान की जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया गया जिससे वादी की साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाडा के वादग्रस्त आराजी खाता सं. 643 व खाता सं0 644 पूर्व में खातेदार लालाराम पुत्र भीयाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। वादीगण द्वारा खातेदार लालाराम की फौत सन् 1971 में होना बताया। खातेदार लालाराम के फौत होने पर उनके वारिसानों के नाम जरिये विरासत नामा. सं. 101 व 102 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुए। नामान्तरकरण सं. 101 व 102 में खातेदार लालाराम के तीन पुत्र होना बताया जिनके नाम मांगीलाल, छेलाराम व ढगलाराम होना बताया। वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भी खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम का नाम निरन्तर नाम चला आ रहा है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी के अन्य खसरा नंबर 64 के नामान्तरकरण

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सं. 1502 में खातेदार लालाराम पुत्र श्रीयाराम के फौत होने पर उनके वारिसान में केवल छैलाराम व मांगीलाल दो ही पुत्र होना बताया गया, इसी नामान्तरकरण की पुरस्त पर खातेदार लालाराम पुत्र श्रीयाराम का राजरा अंकित है जिसमें खातेदार के वारिसानों में छैलाराम, मांगीलाल पुत्र लालाराम व पत्नी (फौत) को दर्शाया गया जिसमें खातेदार लालाराम की पत्नी को फौत होना बताया गया। अतः नामा. सं. 1502 की पुरस्त पर अंकित राजरा से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खातेदार लालाराम पुत्र श्रीयाराम के केवल दो ही पुत्र थे जिनके नाम छैलाराम व मांगीलाल होना बताया गया। वादीगण के हस्तगत प्रकरण को प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादीगण के पक्ष किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण के हस्तगत प्रकरण में संलग्न नामान्तरकण सं. 1502 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट अंकित होता है कि खातेदार लालाराम के केवल दो ही पुत्र छैलाराम व मांगीलाल थे खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं होने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि ढगलाराम, खातेदार लालाराम का पुत्र है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1402/1 रकबा 0.8171 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1468 रकबा 1.8850 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 88 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.1632 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1463 रकबा 0.6229 हैक्टयर में अंकित खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम का नाम विलोपित किया जाकर पुनः वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
सुरेश वगैरा मांगीलाल वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 108/2025

निर्णय **दिनांक :-** 25/5/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1402/1 रकबा 0.8171 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 1468 रकबा 1.8850 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 88 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.1632 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1463 रकबा 0.6229 हैक्टयर में अंकित खातेदार ढगलाराम पुत्र लालाराम का नाम विलोपित किया जाकर पुनः वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा